

संख्या 28/60/2006-एस0 आर0 (एस0)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,  
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

लोक नायक भवन, तीसरा तल,  
खान मार्किट, नई दिल्ली. 110003  
दिनांक जून, 2008

आदेश 96 (ब) (बि) /2008


6 JUN 2008

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11.2000 से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती बिहार राज्य 15.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रूप से आबन्धित समझा जायेगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्धित नहीं समझा जायेगा ।

परन्तु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे ।



(वि. पददत्ता)

उपसचिव (एस0 आर0)

(वि. पददत्ता) DEPUTY SECRETARY

उप सचिव/Deputy Secretary

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

संलग्नक: 1. अनुबंध ( 01 पृष्ठ में ) उत्तरवर्ती बिहार राज्य में अन्तिम रूप से लोक कर्मियों की सूची ।

प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति, सिचाई आवास बेली रोड, पटना.-800023.

2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.

3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.

विभाग का नाम- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

बिहार अंतिम आवंटन सूची

| क्रमांक | नाम                           | जन्म तिथि | पदनाम                   | वेतनमान   | राज्य आवंटन |
|---------|-------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|
| 1       | 2                             | 3         | 4                       | 5         | 6           |
| 1       | शिव विलास सिंह                | 13.01.43  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | बिहार       |
| 2       | राम उचित सिंह                 | 04.09.43  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | बिहार       |
| 3       | सचिदानन्द सिंह यादव           | 06.01.43  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | बिहार       |
| 4       | रामावतार चौधरी                | 01.07.48  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | बिहार       |
| 5       | रामबालक प्रसाद                | 06.12.44  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | बिहार       |
| 6       | राजेन्द्र प्रसाद चौधरी        | 19.07.46  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | बिहार       |
| 7       | युगेश्वर राम                  | 03.11.46  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | बिहार       |
| 8       | नागेश्वर प्रसाद               | 30.12.47  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | बिहार       |
| 9       | अशोक कुमार चौधरी              | 18.08.53  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | बिहार       |
| 10      | प्रमोद कुमार मोची             | 08.02.51  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | बिहार       |
| 11      | गनौर मोची                     | 03.12.44  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | बिहार       |
| 12      | दिनेश्वर महतो                 | 05.12.45  | प्रधान सहायक            | 5500-9000 | झारखंड      |
| 13      | श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद सिन्हा | 06.10.56  | रसायनज्ञ                | 5000-8000 | बिहार       |
| 14      | श्री बसंत प्रसाद सिंह         | 15.03.59  | कनीय अभियंता (असैनिक)   | 5000-8000 | बिहार       |
| 15      | श्री शशि भूषण सिंह            | 05.01.63  | कनीय अभियंता (असैनिक)   | 5000-8000 | बिहार       |
| 16      | श्री प्रमोद कुमार सिन्हा      | 09.04.60  | कनीय अभियंता (असैनिक)   | 5000-8000 | बिहार       |
| 17      | आनन्द चन्द्र झा               | 21.01.49  | कनीय अभियंता (असैनिक)   | 5000-8000 | बिहार       |
| 18      | श्री विन्देश्वरी प्रसाद सिंह  | 11.01.58  | कनीय अभियंता (असैनिक)   | 5000-8000 | बिहार       |
| 19      | श्री सत्येन्द्र मिश्र         | 02.07.51  | कनीय अभियंता (असैनिक)   | 5000-8000 | बिहार       |
| 20      | श्री रवीन्द्र कुमार सिंह      | 11.12.67  | कनीय अभियंता (यांत्रिक) | 5000-8000 | बिहार       |
| 21      | कृष्ण प्रसाद गौड़             | 07.11.61  | ट्रेजरी सरकार           | 2750-4400 | बिहार       |
| 22      | शुशील प्रसाद सिंह             | 05.01.59  | ट्रेजरी सरकार           | 2750-4400 | बिहार       |

(वि० पेशवा/ Deputy Secretary  
उप सचिव/Deputy Secretary  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  
Deptt. of Personnel & Training  
भारत सरकार/Govt. of India

संलग्नक से आदेश नं. 96 (अ)  
Annexure to order No. 96 (अ)  
दिनांक 6-6-08  
Dated 6-6-08  
बिहार 107/08  
Bihar/07/08  
Jharkhand/08